न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– श्री जयसिंह आर.ए.एस.

मि0न0 –181 / 2020(2020 / 00286)

अनवान : –

निरंजनलाल पुत्र ऋषिकुमार जाति महाजन निवासी भादरा तहसील भादरा।

वादी

बनाम

1. ऋषिकुमार पुत्र महादेवप्रसाद जाति महाजन निवासी भादरा तहसील भादरा।
2. नरेशकुमार पुत्र ऋषिकुमार जाति महाजन निवासी भादरा तहसील भादरा।
3. मनीष पुत्र ऋषिकुमार जाति महाजन निवासी भादरा तहसील भादरा।
4. सुनीता पुत्री ऋषिकुमार जाति महाजन निवासी भादरा तहसील भादरा।
5. डिम्पल पुत्री ऋषिकुमार जाति महाजन निवासी भादरा तहसील भादरा।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक
अन्तर्गत धारा 88राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम

उपस्थिति :– श्री विनोद पूनियां वादी
श्री उम्मेद मोठसरा प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांक: 08/04/2021

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 2 बीएचपी सम्वत 2071–74 के वर्तमान खाता संख्या 53 / 46, 62 के मुरब्बा न0 6 के किला न0 1 ता 4, 7 ता 25, मु0 न0 24 के किला न0 5 ता 8 इस प्रकार कुल किता 27 की कुल 6.831 हैक्टेयर नहरी बारानी खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ऋषिकुमार के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है।

वादी एवं प्रतिवादीगण हिन्दु है तथा हिन्दु उतराधिकार अधिनियम एवं हिन्दु पद्धति से शासित होते है। वाद भूमि पहले वादी के दादा महादेवप्रसाद की खातेदारी हुआ करती थी। महादेवप्रसाद से विरासतन वादभूमि जो प्रतिवादी ऋषिकुमार ने कर्ता खानदान होने के चलते विरासतन इन्तकाल तन् [illegible] प्रति[illegible]ी ऋषिकुमार ने अपने नाम से दर्ज करवा लिया। इस प्रकार [illegible] की दादालाई पैत्रक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक व अ[illegible]कार निहित है। वाद[illegible]हा

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.08.27 12:44:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

प्रतिवादी ऋषिकुमार के नाम दर्ज होने से वादी के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

उक्त वाद भूमि हिन्दु खानदान की जद्दी जायदाद है जो वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 ऋषिकुमार को वादी के दादा महादेवप्रसाद से विरासतन प्राप्त हुई है। नामान्तरकरण रजिस्टर चक 2 बीएचपी प्रविष्टि संख्या 78 से साफ रोशन है इस प्रकार उक्त वाद भूमि में वादी का जन्म से हक व हिस्सा निहित है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 5 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया।

उक्त वाद भूमि बाबत सभी पक्षकारानों में पारिवारिक समझौता किया हुआ है। प्रतिवादी संख्या 1, 4 व 5 ने वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के पक्ष में अपना हक व हिस्सा की भूमि बराबर तर्क किया हुआ है।

साक्ष्य वादी में वादी निरंजनलाल पुत्र ऋषिकुमार जाति महाजन निवासी भादरा तहसील भादरा के साक्ष्य करवाये गये। साक्ष्यवादी में जमाबन्दी चक 2 बीएचपी सम्वत 2071–74 खाता संख्या 53/46, 62 प्रदर्श 1, जमाबनदी चक 2 बीएचपी सम्वत 2063–66 खाता संख्या 59/54 प्रदर्श 2, व खाता संख्या 60/55 प्रदर्श 3, नामान्तरकरण रजिस्टर चक 2 बीएचपी प्रविष्टि संख्या 78 प्रदर्श 4, नामान्तरकरण रजिस्टर चक 2 बीएचपी प्रविष्टि संख्या 151 प्रदर्श 5, वारिसान बाबत शपथ पत्र प्रदर्श 6 प्रदर्शित करवायें।

बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने अपने दावा के तथ्यों को दोहराते हुए वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया। चक 2 बीएचपी के खाता संख्या 53/46, 62 के मु0 न0 6 के किला न0 15, 16, 25 के प्रतिवादी संख्या 1 ऋषिकुमार के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज भूमि के ऐसे कोई दस्तावेज पेश नही किये है, जिससे यह साबित हो कि उक्त भूमि दादालाई पैतृक कृषि भूमि हो। वकील वादी ने उक्त भूमि को प्रतिवादी संख्या 1 के नाम यथावत रखते हुए शेष भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के नाम दर्ज करवाने हेतु निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.08.27 12:44:03 IST
Reason: SelfAttested

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया व पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलो[illegible] रोही मौजा चक 2 बीएचपी सम्वत 2071–74 के वर्तमान खाता संख्या 53/46, 62 के मुरब्बा न0 6 के किला न0 1 ता 4, 7 ता 14, 17 ता 24, मु0 न0 24 के किला न0 5 ता 8 नहरी

उपखण्डाधिकारी (राजस्व,
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

बारानी खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ऋषिकुमार के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है, जिसमें वाद भूमि दादालाई कृषि भूमि होना साबित है इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी मुताबिक राजीनामा आंशिक डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 2 बीएचपी सम्वत 2071–74 के वर्तमान खाता संख्या 53/46, 62 के मुरब्बा न0 6 के किला न0 1 ता 4, 7 ता 14, 17 ता 24, मु0 न0 24 के किला न0 5 ता 8 नहरी बारानी खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ऋषिकुमार के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 ऋषिकुमार का नाम कलमजन किया जाकर वादी **निरंजनलाल व प्रतिवादी संख्या 2 नरेशकुमार, प्रतिवादी संख्या 3 मनीष को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है।** प्रतिवादी संख्या 1, 4 व 5 द्वारा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के हक में त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 08/04/2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जयसिंह)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व,
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.08.27 12:44:03 IST
Reason: SelfAttested